बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–19.07.2019

इस वर्ष जुलाई माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में उत्तर बिहार एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई भारी वर्षापात के कारण उत्तर बिहार से हो कर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जल स्तर में काफी वृद्धि हुई। फलस्वरूप राज्य के 12 जिलों यथा शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार एवं पूर्णियाँ में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। **दिनांक 19.07.2019, समय 10.00 बजे पूर्वाह्न तक प्राप्त सूचनानुसार बाढ़ग्रस्त 12 जिलों के 97 प्रखण्डों के अन्तर्गत 921 पंचायतों में लगभग 13 लाख 20 हजार परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।** बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुसार `6000 प्रति परिवार की दर से आनुग्रहिक साहाय्य राशि (Gratuitous Relief) का भुगतान किया जायेगा। राशि का अंतरण NIC के सहयोग से PFMS प्रणाली (Public Financial Management System) के माध्यम से राज्य स्तर से ही सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में (DBT-Direct Benefit Transfer) करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। **श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा आज दिनांक 19.07.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न इसका शुभारंभ किया गया।**

पहले चरण में बाढ़ग्रस्त जिलों के कुल **3,02,329 (तीन लाख दो हजार तीन सौ उनतीस)** सत्यापित परिवारों को `6000 प्रति परिवार की दर से कुल `1**,81,39,74,000 (एक सौ इकासी करोड़ उनचालीस लाख चौहत्तर हजार)** आनुग्रहिक साहाय्य राशि का अंतरण PFMS प्रणाली के माध्यम से ICICI Bank द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में किया गया, जो उन्हें अगले 48 घंटे के अन्दर प्राप्त हो जायेगा। शेष परिवारों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। सत्यापनोपरान्त उन्हें भी आनुग्रहिक साहाय्य राशि का वितरण जल्द ही कर दिया जायेगा। लाभार्थियों के बैंक खाते में आनुग्रहिक साहाय्य राशि के अंतरण के पश्चात SMS के माध्यम से उन्हें सूचित भी किया जा रहा है।

PFMS प्रणाली के फायदे

1. सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे PFMS के माध्यम से बिना किसी परेशानी तथा पारदर्शी तरीके से भेजा जा रहा है।
2. राशि के अंतरण में किसी भी बैंक की शाखा पर कोई निर्भरता नहीं होगी।
3. आपदा प्रबंधन विभाग को भी उपयोगिता प्रमाण पत्र सीधे प्राप्त हो जायेंगी।

अपर सचिव